बनाम राज० सरकार

मु० नं. 97/2017 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादी ने एक वाद जरिये वकील अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जावे । मिसल दिनांक 13.4.17 को पेश हो । सहायक कलक्टर, बाप	
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप/पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु मिसल दिनांक 3/5/17 को पेश हो।	
राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों के निस्तारण किये जाने पत्रावली न्याय आपके द्वार 2017 वैशाख आ.पं. खीरणा अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 19/6/17 को पेश हो । सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) बाप (जोधपुर)	
पत्रावली आज बमुकाम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुई। उभय पक्ष बावजूद तामील के कोई उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/11/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर बाप	
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादीगण एवं न्यायालय हाजा समय में चार बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु न तो वादीगण और न ही इनकी ओर से कोई वकील उपस्थित आये। सिवाय वादीगण वादु अदक हाजी अदक फरवी में खारिज किया जाता है। मिसल प्रकरण शुमार बाद दाखिल दफ्तर हो। वकील के उपरान्त (सुमित्रा पारीक) R.A.S.	

लिखाम